परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रूईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद चमोली जैसे सूदुर पर्वतीय क्षेत्र का विकास मुख्य विकासखण्डों तहसीलों व पर्यटक स्थलों को परस्पर मोटर मार्गों द्वारा जोड़े बिना विकास बिलकुल नही हो सकता है। इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए यहां मार्ग निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। उपरोक्त मोटर मार्ग विकासखण्ड घाट के विभिन्न गावों को जोड़ते हुये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सूपताल होते हुए विकासखण्ड थराली के विभिन्न गावों को जोडते हुवे थराली विकासखण्ड मुख्यालय को जोड़ेगा।

उपरोक्त मोटर मार्ग माननीय मुख्यमत्री जी की घोषणा संख्या 415/2018 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या..5069/।।।(2)/18–05(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 15 अक्टूबर 2018.. के द्वारा 22.00 किमी. लम्बाई में स्वीकृत किया गया है। जिसके निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण करने हेतु यह प्रस्ताव गठित किया गया है। उपरोक्त मोटर मार्ग से घाट तहसील के विभिन्न गांव यथा कुन्तरी,फाली,बाजबगड़,रेणीहाट, भेंटी, व स्यारी बंगाली गांव तथा दो विकासखण्डों के परस्पर जुड़ने से घाट व थराली दोनों विकासखण्ड लाभान्वित होते हैं। यह मोटर मार्ग उपरोक्त विकासखण्डों को सबसे कम दूरी से जोड़ने वाला मार्ग है। इस मोटर मार्ग के घाट तहसील के विभिन्न पर्यटक स्थलों यथा कुरूड़, सुपताल, सुतोल, कनोल, रामणी इत्यादि को जोड़ने के कारण महत्व बढ़ जाता है।

सरल एवं सुगम यातायात उपलब्ध होने से उक्त तहसील क्षेत्रों के पर्यटन को अधिक बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय उत्पादों, वनोत्पादों (जड़ी–बूटी), खनिजों व फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी जिससे क्षेत्रवासियों का जीवनस्तर में और अधिक सुधार होगा व सर्वांगीण विकास होगा। इस मार्ग के नवनिर्माण से क्षेत्रवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में पूर्व में ही क्षेत्र वासियों से सम्पर्क कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्र के समस्त लोगों को लाभ होगा।

अवर अभियन्ता लो.नि.वि कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि. कर्णप्रयाग

Scanned with CamScanner